संजय नरानियाँ बनाम राजेन्द्र कुमार वगैरह

9.5.19

प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि दिनांक 23.08.2018 को प्रार्थी एवं उनके अभिभाषक कोई कारणवंश न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकें जिसके कारण न्यायायल ने प्रार्थना पत्र बाजदायरी को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। जबकि प्रार्थी के अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकें। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र को नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्रों व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन **न्यायहित में प्रार्थना पत्र में हुयी देरी को कन्डोन करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. को स्वीकार कर बाजदायरी प्रार्थना पत्र को पुनः दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमा होकर नम्बर से कम हो।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर